FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

साबूराम बनाम कुन्दन कँवर वगै0

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र बाजदायरी (दावा) मुकदमा नम्बर – 85/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2025	वकील प्रार्थी श्री सुभाष यादव एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश कर अवगत कराया है कि उनवानी दावा साबूराम बनाम कुन्दन कँवर वगै0 दावा मुकदमा संख्या 84/2018 न्यायालय में विचाराधीन होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.05.2025 नियत थी। वादी अपने अधिवक्ता के भरोसे था एंव वादी का अधिवक्ता अन्य न्यायालय मे अन्य प्रकरणों की पैरवी में व्यस्त होने के कारण न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा दिनांक 05.05.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। जिससे वादी को सख्त हकतलफी का है। मामला वादी की अचल सम्पति बाबत है एंव दावा बाबत ईस्तकरार हक, बँटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा बाबत है। जिसके लिए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई फरमायी जाकर गुणावगुण के आधार पर वादपत्र में निर्णय व डिक्री पारित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन करते हुए आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी वकील प्रकरण की पैरवी कर रहे थे। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश के होने से वकील प्रार्थी ने प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष हाजिर आने की आवश्यकता नहीं होने तथा आवश्यकता होने पर बुला लिये जाने बाबत आश्वस्त कर रखा है। वादी का अधिवक्ता अन्य न्यायालय में अन्य प्रकरणों की पैरवी में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा दिनांक 05.05.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में वादपत्र को खारिज कर दिया गया है। प्रकरण दावा अचल सम्पति से सम्बन्धित होकर उदघोषणा का होने से वादी के हक प्रभावित हो रहे है। प्रकरण मूल वादपत्र में तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष मे राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति मे वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकील वादी/प्रार्थी ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र के दिनांक 05.05.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में पेश की गई है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उद्घोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थी वादी का ही होता है। प्रार्थी व वकील प्रार्थी का वाद में तारीख पेशी का ज्ञान होने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं होना न्यायालय के प्रति गॅभीर नहीं होने को प्रकट करता है, ना ही वकील प्रार्थी के अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। फिर भी मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र वाजदायरी रूपए 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा कोस्ट न्यायालय में जमा करवाये जाने पर मूल वाद पत्र उनवानी साधूराम बनाम कुन्दन कॅवर वगै0 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। वादी पक्षकार वाद पत्र में नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक 24.6.2025 को [illegible] जदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)